न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा

राजस्व वाद संख्या : 18/2018 निर्णय दिनांक 11.9.2019

1/1 सोनीदेवी पत्नी हस्ताराम 1/2 दुर्गाराम 1/3 ज्यानाराम पुत्रगण हस्ताराम 2/1 दाखुदेवी पत्नी मानूराम 2/2 लिखमाराम 2/3 आसाराम पुत्रगण मानूराम 3. करमाराम 4. मोतीराम 5. खेतराम पिसरान रामूराम 6.सुखी देवी पत्नी स्व.सुरजाराम 7. कुम्भाराम 8. पेम्पाराम 9. हीराराम 10. मोपाराम पिसरान सुरजाराम 11. चेतनराम पुत्र रामूराम जाति मेघवाल निवासीगण बुंगड़ी तहसील फलौदी जिला जोधपुर

वादीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार, नोखा। 2. पूर्णाराम 3. श्यामाराम 4. रूपाराम पिसरान प्रेमाराम पुत्र जाति जाट कड़वासरा निवासीगण नाथूसर तहसील नोखा

प्रतिवादीगण

उपस्थिति :

1. श्री टीकमसिंह राठौड़ एडवोकेट वादीगण की ओर से
2. श्री लक्ष्मीनारायण सियाग एडवोकेट प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 की ओर से
3. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
एवं अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

दावा वादी के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एक ही हिन्दू खानदान के सदस्य है व ग्राम बूगड़ी तहसील फलौदी जिला जोधपुर के स्थायी वाशिन्दे है जो हाल ग्राम नाथूसर तहसील नोखा के वाशिन्दे है तथा पेशे से खेतीहर है। वर्तमान मे वादीगण के नाम संयुक्त खातेदारी भूमि जिसके खसरा नम्बर 990 रकबा 3.64 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1775/953 रकबा 6.48 हैक्टेयर, कुल रकबा 10.12 हैक्टेयर एवं प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 एवं उनकी माता बालीदेवी के नाम खेत खसरा नम्बर 951 रकबा 0.03 हैक्टेयर खसरा नम्बर 952 रकबा 0.03 हैक्टेयर खसरा नम्बर 953 रकबा 18.28 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 18.34 हैक्टेयर वाके रोही नाथूसर तहसील नोखा जिला बीकानेर मे स्थित है। तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 4 की माता बालीदेवी का स्वर्गवास हो चुका है। जिनके वारिसान प्रतिवादी सं. 2 ता 4 ही है। वादीगण ने प्रतिवादीगण स. 2 ता 4 के पिता प्रेमाराम से दिनांक 20/03/1975 उनके नाम की खातेदारी भूमि जिसके गत खसरा नम्बर 415/1 रकबा 81 बीघा 10 बिस्वा मे से 40 बीघा दक्षिणी–पूर्वी ओर की भूमि जरिए बेयनामा से संलग्न बरंग लाल भूमि की खरीद की थी जिसका बेयनामा उप पंजीयक नोखा के यहां पंजीबद्ध है । वादीगण के द्वारा खेत खसरा नम्बर 415/1 रकबा 81 बीघा 10 बिस्वा भूमि मे से 40 बीघा भूमि की खरीद किये जाने उपरान्त राजस्व अमला द्वारा नियमानुसार नामान्तरण सं. 412 तैयार किया गया तथा उक्त नामान्तरण करण की पुश्त पर बरंग लाल भूमि जो प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 पिता प्रेमाराम के द्वारा वादीगण को बेचान की गई भूमि तादादी 40 बीघा को दर्शायी गयी है तथा इसी कदर बरंगलाल भूमि के अनुरूप ही आज दिन तक वादीगण का कब्जा काश्त अनवरत चला आ रहा है। तत्पश्चात राजस्व अमला द्वारा जमाबन्दी सम्वत 2028 से 2031 व 2032 से 2035 की तैयार की गई। नामान्तरण करण सं. 412 तस्दीक किये जाने के बाद वादीगण के नाम बनी अलग से जमाबन्दी सम्वत 2032 से 2035 मे खसरा नम्बर 415/1 मीन रकबा 40 बीघा की तैयार की गई। उक्त जमाबन्दी मे रकबा बेयनामा व नामान्तरण करण सं. 412 के अनुरूप ही था जो सही व दुरूस्त है। भू-प्रबन्धक विभाग द्वारा सन 1989–90 मे द्वितीय सेटलमेन्ट प्रक्रिया आरम्भ की गई तथा उक्त प्रक्रिया मे वादीगण के पुराने खसरा नम्बर 415/1 मीन रकबा 40 बीघा के नये खसरा नम्बर 990 रकबा 3.64 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1775/953 रकबा 6.48 हैक्टेयर भूमि कायम करते हुये सम्वत् 2051 की जमाबन्दी मे रकबा 40 बीघा की नयी तादादी 10.12 हैक्टेयर कायम की गई जो सही व दुरूस्त दर्शायी गई है। लेकिन कब्जा काश्त के विपरीत जाकर उक्त जमाबन्दी तैयार की गई जो वादीगण के निहित अधिकारी पर बेअसर है। वादीगण के नाम नया खसरा नम्बर 1775/953 को वर्तमान नक्शा मे चिन्ह ही नहीं किया गया तथा दूसरा खसरा नम्बर 990 को वादीगण के कब्जा काश्त

Scanned by CamScanner

से हटकर काफी दूर जाकर फिट कर दिया गया। खसरा नम्बर 990 पर वादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा, न ही काश्त की तथा बैयनामा में भी उक्त भूमि का बेचान करने का उल्लेख नहीं है न ही उक्त भूमि की खरीद की है। उक्त खसरा नम्बर पर पूर्व से ही प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 के कब्जा काश्त में चला आ रहा है। प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 के नाम चली आ रही भूमि जिनके खसरा नम्बर 953 का नक्शा रकबा से विपरीत बड़ा दर्शित कर दिया तथा प्रतिवादीगण के नाम इसी खसरा के नक्शा में ही वादीगण की भूमि 10.12 हैक्टेयर भूमि फिट होनी है यानि खसरा नम्बर 990 रकबा 3.64 हैक्टेयर भूमि को वर्तमान जमाबन्दी से हटायी जाकर प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 के नाम से बने खसरा नम्बर 953 रकबा 18.28 हैक्टेयर के नक्शा में से वादीगण खसरा नम्बर 1775/953 की भूमि नक्शा मे तरमीम कर दुरूस्त की जावे। यानि वादग्रस्त भूमि के नक्शा मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण का नक्शा दुरूस्त किया जावे। यानि इसी कदर वादीगण के नाम खसरा नम्बर 1775/953 को भी खसरा नम्बर 953 के नक्शा में बैयनामा व कब्जा काश्त के अनुरूप नक्शा मे फिट किया जाना आवश्यक है। उक्त त्रुटि जो सैटलमेंन्ट अधिकारियों द्वारा की गई है जबकि उन्हे ऐसा करने का कतई अधिकार नहीं था। जिसे दुरूस्त करवाने का घोषणात्मक दावा बाबत दुरूस्ती का श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत है। वादीगण के नाम से बनी जमाबन्दी मे अंकित खसरा नम्बर 990 रकबा 3.64 हैक्टेयर को हटाया जाकर प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 के नाम किया जावे तथा वर्तमान नक्शा व जमाबन्दी मे अंकित खसरा नम्बर 953 रकबा 18.28 हैक्टेयर हैक्टेयर में से खसरा नम्बर 953 मीन रकबा 3.64 हैक्टेयर भूमि कायम की जाकर वादीगण की जमाबन्दी व नक्शा में फिट किया जावे यानि खसरा नम्बर 953 मीन रकबा 3.64 हैक्टेयर एवं खेत खसरा नम्बर 1775/953 को वर्तमान नक्शा मे वादीगण का सन् 1975 से ही चले आ रहे कब्जा काश्त तथा नजरी नक्शा मे वर्णित बरंग लाल भूमि के अनुरूप फिट किया जावे जिसकी घोषणा करवाने के वादीगण मुस्तहक है। वादीगण द्वारा आपसी सहमति से खाता विभाजन हेतु पटवारी हल्का से जमाबन्दी एवं नक्शा की नकल लेने पर पटवारी हल्का से नकले ले तो उक्त त्रुटि का ज्ञान हुआ जिस पर अन्य दस्तावेजात की नकले ली तथा वादीगण दिनांक 2?.1.2018 को प्रतिवादी सं. 1 से मिले और उक्त दुरूस्ती करवाये जाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी स. 1 ने स्पष्ट इन्कार कर दिया तथा कहा कि सैटलमेन्ट की प्रक्रिया का मामला है इसलिए सक्षम न्यायालय से दावा करके आदेश लाओ तथा प्रतिवादीगण ने भी इसी दिनांक को तहसील परिसर चलकर सहमति से दुरूस्ती करवाने से स्पष्ट इन्कार हो गए और कहा कि राजस्व रिकार्ड अनुसार ही हम एकदूसरे आपस मे अदला बदली कर लेंगें। तथा सहमति से उक्त दुरूस्ती करने से टालमटोल करते हुए इन्कार हो गए। इसलिए यही इन्कारी विनाय दावा विनाय मुखासमत प्रतिवादीगण के विरूद्ध मोजा व नायूसर मे हासिल हुए है। प्रतिवादी सं. 1 [illegible] राजस्थान राज्य है जो आवश्यक पक्षकार है यानि प्रतिवादी सं. 1 को पक्षकार बनाए जाने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण दावा बगैर नोटिस के दिया जा रहा है व धारा 80 सी.पी.सी. का अनिमुक्ति का प्रार्थना पत्र [illegible] से प्रस्तुत किया जा रहा है। वादग्रस्त खसरा जात वाके रोही नायूसर तहसील नोखा स्थित है जो श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार व क्षेत्राधिकार में है तथा दावा अन्दर मियाद व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। डिक्री घोषणात्मक करवाई जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि वाके रोही ग्राम नायूसर स्थित वादीगण के नाम से संयुक्त खातेदारी भूमि जिसके खसरा नम्बर 990 रकबा 3.64 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1775/953 रकबा 6.48 हैक्टेयर, कुल रकबा 10.12 हैक्टेयर भूमि एवं प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 के नाम खेत खसरा नम्बर 951 रकबा 0.03 हैक्टेयर खसरा नम्बर 952 रकबा 0.03 हैक्टेयर खसरा नम्बर 953 रकबा 18.28 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 18.34 हैक्टेयर स्थित है तथा वादीगण के नाम से वर्तमान मे बनी जमाबन्दी में अंकित खसरा नम्बर 990 रकबा 3.64 हैक्टेयर को हटाया जाकर प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकन कर दुरूस्त किया जावे तथा प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 के नाम से वर्तमान नक्शा व जमाबन्दी मे अंकित खसरा नम्बर 953 रकबा 18.28 हैक्टेयर भूमि मे से वादीगण के नाम खसरा नम्बर 990 के रकबा 3.64 हैक्टेयर के बदले प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 की भूमि खसरा नम्बर 953 रकबा 18.28 हैक्टेयर मे से कम की जाकर वादीगण के नाम खसरा नम्बर 953 मीन रकबा 3.64 हैक्टेयर भूमि कायम किए जाने की घोषणा की जावे तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद किया जावे एवं यानि वादीगण के नाम वर्तमान जमाबन्दी में खसरा नम्बर 990 के स्थान पर खसरा नम्बर 953

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद सं. 18/2018

मीन रकबा 3.64 हैक्टेयर एवं खेत खसरा नम्बर 1775/953 को वर्तमान खसरा नम्बर 953 के नक्शा में जरिए संलग्न बैयनामा अनुसार खरीद समय से कब्जा काश्त तथा नजरी नक्शा में वर्णित बरंग लाल भूमि के अनुरूप नक्शा में फिट किया जाकर दुरूस्त किया जावे । तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। चिर निषेधाज्ञा इस आशय की फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वादगत वाके रोही ग्राम नाथूसर स्थित वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा या दखलदांजी पैदा नहीं करें तथा वादीगण को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल नहीं करें, मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 15.1.2019 को प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा व इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दावा डिक्री फरमाया जावे तो हमे कोई आपति नहीं है। दिनांक 15.1.2019 को ही वादी द्वारा भी प्रार्थना पत्र वारिश रिकार्ड पर लेने व संशोधन अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 व आदेश 6 नियम 17 सहपठित धारा 153 जाब्ता दिवानी का प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया जाकर संशोधित शीर्षक पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। पेशी दिनांक 26.8.2019 को वकुलाय फरीकैन की बहस समाअत की गइ।। वकील वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र के कथनो को दौहराते हुवे निवेदन किया कि वादीगण का दावा स्वीकार फरमाया जाकर वादगत भूमि वाके रोही ग्राम नाथूसर की वादगत भूमि में वादीगण के नाम से वर्तमान में वनी जमावन्दी में अंकित खसरा नम्बर 990 रकबा 3.64 हैक्टेयर को हटाया जाकर प्रतिवादीगण सं. 2. ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दुरूस्त किया जावे तथा प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 के नाम से वर्तमान नक्शा व जमाबन्दी मे अंकित खसरा नम्बर 953 रकबा 18.28 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के नाम खसरा नम्बर 990 के रकबा 3.64 हैक्टेयर के बदले प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 की भूमि खसरा नम्बर 953 रकबा 18.28 हैक्टेयर में से कम जी जाकर वादीगण के नाम खसरा नम्बर 953 मीन रकबा 3.64 हैक्टेयर भूमि कायम किए जाने की घोषणा की जावे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद फरमाया जावे। यानि वादीगण के नाम वर्तमान जमावन्दी में खसरा नम्बर 990 के स्थान पर खसरा नम्बर 953 मीन रकबा 3.64 हैक्टेयर एवं खेत खसरा नम्बर 1775/953 को वर्तमान खसरा नम्बर 953 के नक्शा में जरिए बैयनामा अनुसार खरीद समय से कब्जा काश्त तथा नजरी नक्शा में वर्णित बरंग लाल भूमि के अनुरूप नक्शा में फिट किया जाकर दुरूस्त किया जावे। जिस पर वकील प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 ने मुताविक राजीनामा सहमती जाहिर की। पैरोकार राज ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में राज्य हित प्रभावित नहीं हो रहा है।

निर्णय

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/अध्ययन किया जिससे वादीगण का यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य पाया जाने पर वादीगण का यह राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 एवं अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर वादीगण की वादगत भूमि वाके रोही नाथूसर के खेत खसरा नम्बर 990 रकबा 3.64 हैक्टेयर जो वर्तमान में वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है से हटाया जाकर प्रतिवादीगण सं. 2. ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे तथा प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकित खसरा नम्बर 953 रकबा 18.28 हैक्टेयर भूमि में पूर्वी मध्य हिस्सा में 3.64 हैक्टेयर भूमि वादीगण के नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा वादीगण के नाम से खसरा नम्बर 1775/953 रकबा 6.48 हैक्टेयर भूमि को नजरी नक्शे, बैयनामा व कब्जे अनुसार दक्षिणी पूर्वी पासा में फीट किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नोखा निर्णय के सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार निर्णय की पालना करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक **11.09.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

11/9/19
उपखण्ड अधिकारी
(रमेश देव)
उपखण्ड (अधिकारी)
नोखा

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री वमुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा

इजलास रमेश देव आर.ए.एस.
...देवी पत्नी हरताराम जाति मेघवाल निवासी चूंगड़ी तहसील फलौदी जिला जोधपुर
...स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार वगैरहा
...बाबत घोषणात्मक
...मा नम्बर 18/2018
...दिनांक 11.09.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से अधिवक्ता श्री ...सिंह राठौड़, मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण ... एवं स्टेट की ओर से पैरोकार राज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ...गण की वादगत भूमि वाके रोही नाथूसर के खेत खसरा नम्बर 990 रकबा 3.64 हैक्टेयर जो वर्तमान ...वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है से हटाया जाकर प्रतिवादीगण सं. 2. ता 4 के नाम ...स्व रिकार्ड में अंकित किया जावे तथा प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ...त खसरा नम्बर 953 रकबा 18.28 हैक्टेयर भूमि में पूर्वी मध्य हिस्सा में 3.64 हैक्टेयर भूमि वादीगण के ... अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा वादीगण के नाम से खसरा नम्बर 1775/953 रकबा ... हैक्टेयर भूमि को नजरी नक्शे, बैयनामा व कब्जे अनुसार दक्षिणी पूर्वी पासा में फीट किये जाने के ...श दिये जाते है। तहसीलदार नोखा निर्णय के सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार निर्णय की पालना करे।

...तीज...0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना ... को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।
...वसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 11 माह **सितम्बर** सन् **2019** को जारी किया ...।

11/9/19
(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी,
नोखा
उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.अर्जी पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

11/9/19
उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)